

दिनांक 11.03.2021 (गुरुवार) पूर्वाह्न 11:00 बजे माननीय शिक्षा मंत्री-सह-अध्यक्ष, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् की अध्यक्षता में परिषद् की आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थित सदस्य

1. श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय शिक्षा मंत्री-सह-पदेन अध्यक्ष,
2. श्री कामेश्वर झा, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, पटना
3. श्री संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग - पदेन सदस्य
4. श्री नर्मदेश्वर लाल, सचिव उद्योग विभाग - पदेन सदस्य
5. श्री प्रेम सिंह मीणा, सचिव, वित्त विभाग - पदेन सदस्य
6. श्रीमती रेखा कुमारी, निदेशक, उच्च शिक्षा - पदेन सदस्य
7. प्रो० एच० सी० एस० राठौर, कुलपति, दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना - मनोनीत सदस्य
8. प्रो० गिरीश कुमार चौधरी, कुलपति, पटना विश्वविद्यालय पटना - मनोनीत सदस्य
9. प्रो० रंजीत कुमार वर्मा, कुलपति, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर - मनोनीत सदस्य
10. श्री गजेन्द्र मिश्रा, संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी (सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी द्वारा नामित सदस्य)
11. असंगबा चुबा आओ, सदस्य सचिव - सह - राज्य परियोजना निदेशक, बि०रा०उ०शि०प०

अन्य उपस्थिति

1. श्री अजीत कुमार, उप-निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
2. श्री श्री दीपक कुमार सिंह, उप-निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
3. श्री शिवेश रंजन, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बि०रा०उ०शि०प०
4. श्री योगेश कुमार, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बि०रा०उ०शि०प०
5. श्री शाहबाज अहमद, सलाहकार, बि०रा०उ०शि०प०

कार्यवाही

बैठक का प्रारंभ श्री असंगबा चुबा आओ, सदस्य सचिव - सह - राज्य परियोजना निदेशक द्वारा अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों के स्वागत के साथ किया गया। इसके उपरान्त बैठक में विभिन्न एजेन्डा बिन्दुओं पर परिषद् द्वारा गहन विचार विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गए:-

एजेन्डा-01/01

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को उपलब्ध करायी गयी राशि का विवरण एवं अद्यतन स्थिति।

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के माध्यम से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के विभिन्न मदों के अन्तर्गत राज्य में उच्च शैक्षणिक संस्थानों को उपलब्ध कराए गए अनुदान एवं वास्तविक स्थिति से परिषद् के सदस्यों को अवगत कराया गया।

माननीय शिक्षा मंत्री-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य के अन्तर्गत ऐसे विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अन्तर्गत पंजीकृत होने की योग्यता धारण करते हों, परन्तु कतिपय कारणों से पंजीकृत नहीं हो पाए हैं, को चिन्हित कर उनके एवं रूसा दिल्ली के बीच समन्वय स्थापित कर ससमय पोर्टल पर अनुदान हेतु पंजीकरण करने का निदेश दिया गया।

एजेन्डा-02/01

12वीं पी0ए0बी (PAB) की बैठक में स्वीकृत चार न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज की स्वीकृति संबंधी विमर्श-

विमर्शोपरान्त निर्णय लिया गया कि राज्य के चार जिलों- अररिया, गया, कटिहार और पूर्णियाँ जिलों में न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना से संबंधित बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद द्वारा तैयार की गई प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेजा जाए। शिक्षा विभाग द्वारा उक्त न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त करने हेतु अग्रैतर कार्रवाई की जायेगी।

एजेन्डा-3/01

15वीं पी0ए0बी (PAB) की बैठक में स्वीकृत न्यू प्रोफेशनल कॉलेज की स्वीकृति संबंधी विमर्श-

न्यू प्रोफेशनल कॉलेज की स्वीकृति एवं स्थापना के बिन्दु पर विचार विमर्श किया गया।

विमर्शोपरान्त अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा बैठक में उपस्थित संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को सलाह दिया गया कि उक्त मद में स्वीकृत राशि से जिलों में स्वीकृत इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में किसी एक जिले में इंजीनियरिंग की विशेषीकृत शाखा का निर्माण किया जा सकता है। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को इस आशय का प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया।

एजेन्डा-4/01

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद द्वारा विकसित किए जा रहे Unified Management Information System (UMIS) के Expression of Interest (EOI) का अनुमोदन-

UMIS के निर्माण हेतु Expression of Interest (EOI) तैयार कर निविदा आमंत्रण करने के प्रस्ताव को परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

एजेन्डा-5/01

परिषद से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए समितियों के गठन का अनुमोदन-

राज्य के उच्चतर शिक्षण संस्थानों से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक, शैक्षणिक तथा तकनीकी सुधारों से संबंधित कार्यों के अनुश्रवण हेतु परिषद द्वारा निम्नलिखित समितियों के गठन करने के प्रस्ताव को परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

1. Academic Reforms Committee
2. Quality Assurance Committee
3. Committee for IT & ICT
4. State NAAC Committee
5. Committee for Implementation of National Education Policy

उक्त समितियों के सदस्यों को नामित करने हेतु अलग से प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

एजेन्डा-6/01

परिषद के कार्यों के सुगम संचालन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु पद सृजन का अनुमोदन-

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की संरचना के अनुसार नए पदों का सृजन एवं उनपर नियुक्ति हेतु प्रस्तावित पद सोपान एवं नियमित/संविदा पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों का Organogram, वेतन संरचना तथा संभावित व्यय का प्रस्ताव बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

एजेन्डा-7/01

विश्वविद्यालयों से प्राप्त विधियों/अध्यादेशों/विनियमों के प्रारूपों (Drafts) के मूल्यांकन हेतु परिषद् अन्तर्गत गठित होने वाली समिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीश/कानूनी विशेषज्ञ (Legal Expert) की सेवा लेने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन-

राजभवन सचिवालय स्तर से विश्वविद्यालयों द्वारा भेजे गए लंबित परिनियमों/अध्यादेशों/विनियमावलियों के प्रारूप पर परिषद् द्वारा अपने मंतव्य को देकर राजभवन सचिवालय को अवगत कराने हेतु बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के द्वारा दो स्तर पर मूल्यांकित करने हेतु कमिटी बनाने एवं उसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश/कानूनी विशेषज्ञों के सेवा प्राप्त करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

एजेन्डा-8/01

परिषद् के कार्यालय के भौतिक विस्तार का प्रस्ताव-

परिषद् के कार्यों के विस्तार को देखते हुए इसके कार्यालय हेतु पूर्व से आवंटित शेष 3300 वर्ग फीट पर भी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के माध्यम से कार्यालय का विस्तार करने का प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

एजेन्डा-9/01

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित बजट का अनुमोदन-

बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के कार्यालय हेतु अनुमानित बजट के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए अग्रेत्तर कारवाई करने का निर्णय लिया गया।

एजेन्डा-10/01

वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत व्यय की गई राशि का विवरण -

परिषद् के वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत दिनांक-03.03.2021 तक विभिन्न मदों में व्यय विवरणी को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

एजेन्डा-11/01


अन्य कोई प्रस्ताव/एजेन्डा

- i. माननीय अध्यक्ष द्वारा परिषद् को रूसा के माध्यम से राज्यों के अधिक से अधिक उच्च शिक्षण संस्थानों को अनुदान प्राप्त कराने हेतु रूसा, नई दिल्ली से सक्रिय संपर्क बनाए रखने का निदेश दिया गया।
- ii. माननीय अध्यक्ष द्वारा परिषद् के अन्तर्गत गठित होने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो० एच० सी० एस० राठौर को भी रखने का आदेश दिया गया।
- iii. माननीय अध्यक्ष द्वारा परिषद् की अगली बैठक ससमय कराने का निदेश दिया गया।
- iv. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग श्री संजय कुमार द्वारा सलाह दी गई कि राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालय अपने न्यूनतम आवश्यक आधारभूत संरचना का आकलन कर परिषद् को एक प्रस्ताव दें। परिषद् इसके आधार पर विभाग को उक्त आधारभूत संरचना के निर्माण की प्रक्रिया एवं लागत संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार को उपलब्ध कराए।


- v. माननीय अध्यक्ष द्वारा राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रत्येक विषयों के पाठ्यक्रमों में एकरूपता (Uniformity) लाने का सुझाव दिया गया। इसके लिए सभी विषयों के पाठ्यक्रमों को अद्यतन करने एवं न्यूनतम स्तर पर समान पाठ्यक्रम के निर्धारण का सुझाव दिया गया। इस कार्य के लिए प्रस्तावित Academic Reforms Committee द्वारा अध्ययन कर प्रतिवेदन उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

एजेन्डा-12/01

अन्त में श्री कामेश्वर झा, उपाध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।



(असुग्रीबा चुबा आओ)

सदस्य सचिव-सह-
राज्य परियोजना निदेशक,
बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, पटना


(विजय कुमार चौधरी)

माननीय शिक्षा मंत्री - सह - अध्यक्ष,
बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, पटना

ज्ञापांक :- SHEC/Council Meet/22/2015-PART-I - 112 ' पटना, दिनांक - 03/05/2021
प्रतिलिपि :- माननीय शिक्षा मंत्री-सह-अध्यक्ष, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, बिहार, पटना के आप्त सचिव/उपाध्यक्ष, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना/कुलपति, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर/कुलपति, दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गया/निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सदस्य सचिव - सह - राज्य परियोजना
निदेशक,
बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, पटना